संख्या-4/2015/30/सैंतीस-2-2015-1(3)/12

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 02 मार्च, 2015

विषयः- **केन्द्र पुरोनिधानित पशु रोग नियंत्रण योजना (एल एच एवं डी सी) के घटक राष्ट्रीय पशु रोग निगरानी तंत्र(100 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-505/ईपीडी/एन.ए.डी.आर.एस./बजट/14-15, दिनांक 02.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-1077/सैंतीस-2-2014-1(3)/12, दि0-16.04.2014 द्वारा अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियत्रण कार्यक्रम-0207-नेशनल एनीमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन.ए.डी.आर.एस.)(100प्रति.के.पो.) के मानक मद 08-कार्यालय व्यय में स्वीकृत धनराशि रू0-75.00 हजार को समर्पित/निरस्त करते हुये निम्न मानक मद में रू0-325.00 हजार (रूपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के पश्चात् प्राप्त केन्द्रांश की सीमा तक ही किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा :-

मानक मद	**धनराशि हजार रूपये में**
18-प्रकाशन	325.00
(रूपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)	

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.94 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय। इसमें विचलन होने पर वित्त नियंत्रक का यह दायित्व होगा कि इसकी सूचना तुरन्त वित्त विभाग को दें।

4- शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो ऐसी धनराशियों को संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इस धनराशि से व्यय नई मदों में न किया जाय।

7- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/कार्यरत वित्त नियँत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियँत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

8- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0207-नेशनल एनीमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन.ए.डी.आर.एस.)(100 प्रति.के.पो.)-18-प्रकाशन" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**सुरेन्द्र सिंह**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-4/2015/30(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मँत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in